सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांकः 786/सो.आ.नि.–318(I)/2016
दिनाँकः 18 फरवरी, 2016

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बस्ती, मऊ तथा कासगंज को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में सोशल आडिट हेतु टीमों को पंचायतों का आवंटन–शुद्धिपत्र।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 785/सो.आ.नि.–318(I)/2016, दिनांक 17 फरवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र का प्रस्तर–4 में BSAC के स्थान पर DSAC लिपिकीय त्रुटिवश टंकित हो गया है। अतः कृपया प्रस्तर–4 को पूर्व के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जाए–

प्रस्तर–4, जैसा कि पत्र दिनांक 17.02.2016 में त्रुटिवश टंकित है।	**संशोधनोपरान्त प्रस्तर–4**
अतः कृपया सुनिश्चित करें कि चयनित विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट के लिए **"DSAC"** को नामित करने एवं टीमों को पंचायतों के आवंटन आदि कार्य को आपके द्वारा किया जाएगा। इस हेतु जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर आपकी सहायता करेंगे। टीमों को सोशल आडिट हेतु पंचायतों का आवंटन ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के स्तर से नहीं किया जाएगा।	अतः कृपया सुनिश्चित करें कि चयनित विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट के लिए **"BSAC"** को नामित करने एवं टीमों को पंचायतों के आवंटन आदि कार्य को आपके द्वारा किया जाएगा। इस हेतु जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर आपकी सहायता करेंगे। टीमों को सोशल आडिट हेतु पंचायतों का आवंटन ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के स्तर से नहीं किया जाएगा।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक।

पत्रांकः–786 (1)/सो0आ0नि0–318(I)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः समस्त जिलाधिकारी, (गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बस्ती, मऊ तथा कासगंज को छोड़कर) उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(राजवर्धन)
निदेशक।

Arun 2016

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांक: 785/सो.आ.नि.–318(I)/2016
दिनाँक: 17 फरवरी, 2016

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बस्ती, मऊ तथा कासगंज को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में सोशल आडिट हेतु टीमों को पंचायतों का आवंटन।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्र संख्या 589/सो.आ.नि.–318(i)/2015, दिनांक 17.12.2015 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के पत्र के प्रस्तर–5 में यह निर्देश दिया गया है कि सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने के लिए प्रत्येक टीम के साथ जनपद में उपलब्ध एक–एक ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर नामित किया जाएगा, जो लगातार प्रत्येक दिन हर समय टीम के साथ रहेगा। टीम के साथ नामित ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को प्रत्येक आडिट के बाद बदल दिया जाएगा। उक्त पत्र के प्रस्तर–8 में सोशल आडिट टीमों को मार्गदर्शन देने एवं उनकी कठिनाईयों के निवारण हेतु जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के द्वारा पर्यवेक्षण की अपेक्षा की गई है।

2. उक्त के संबंध में निदेशालय को जानकारी दी गई है कि कतिपय जनपदों में टीमों के सोशल आडिट हेतु पंचायतों का आवंटन ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा अपने स्तर से किया जा रहा है। ऐसा करना निदेशालय के पत्र दिनांक 17.12.2015 के प्रस्तर–5 की भावना के अनुकूल नहीं है। जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा सोशल आडिट की प्रक्रिया पर पर्याप्त नजर रखते हुए ऐसे प्रकरणों को तत्काल यथोचित कार्यवाही हेतु आपके संज्ञान में लाना चाहिए था।

3. उक्त के अतिरिक्त आपका ध्यान इस निदेशालय के पत्र संख्या 184/सो.आ.नि.–318(I)/14, दिनांक 03 जुलाई, 2014 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें तत्समय व्यवस्था के अंतर्गत सोशल आडिट टीमों को ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट करने का दायित्व जिला विकास अधिकारी को सौंपी गई है। वर्तमान व्यवस्था, जिसमें चयनित ब्लाक के सभी ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक BSAC एवं एक विलेज सोशल आडिट टीम को जिला विकास अधिकारी द्वारा अपने स्तर से नामित किया जाएगा।

Arun 2016

4. अतः कृपया सुनिश्चित करें कि चयनित विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट के लिए DSAC को नामित करने एवं टीमों को पंचायतों के आवंटन आदि कार्य को आपके द्वारा किया जाएगा। इस हेतु जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर आपकी सहायता करेंगे। टीमों को सोशल आडिट हेतु पंचायतों का आवंटन ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के स्तर से नहीं किया जाएगा।

अतः कृपया निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक।

पत्रांकः–785 (1)/सो0आ0नि0–318 (1)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः समस्त जिलाधिकारी, (गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बस्ती, मऊ तथा कासगंज को छोड़कर) उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(राजवर्धन)
निदेशक।